<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या– 06, मथुरा।</u>
उपस्थित–श्रीमती नीलम ढाका, (एच०जे०एस०)
UPMT010105952025

फौजदारी पुनरीक्षण संख्या–568/2025

श्रीमती वर्षा पत्नी सोनू पुत्री श्री नन्दकिशोर, निवासी–ग्राम व पोस्ट चौमुंहा, थाना जैंत, जिला मथुरा।

.... **रिवीजनकर्ती**

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डी०जी०सी०क्रि० जिला मथुरा।
2. सोनू
3. ओमप्रकाश — पुत्रगण चन्द्रपाल
4. रोहताश
5. चन्द्रपाल पुत्र नामालूम
6. कु० प्रियंका पुत्री चन्द्रपाल

निवासीगण– ग्राम घड़ी विस्स पोस्ट पैंठा, थाना मगोर्रा, जिला मथुरा।

...........प्रतिवादीगण/विपक्षीगण

थाना–वृन्दावन, जिला–मथुरा।

<u>निर्णय</u>

यह दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्ती श्रीमती वर्षा की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), त्वरित न्ययायालय/न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं०–1291/2024 श्रीमती वर्षा बनाम सोनू आदि में पारित आदेश दिनांकित 23.07.2025 से क्षुब्ध होकर योजित किया गया है, जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अभियुक्तगण पति सोनू व ससुर चन्द्रपाल को अंतर्गत धारा 498ए,323,504 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में विचारण हेतु तलब किया गया है।

2. निगरानीकर्ती द्वारा अपने पुनरीक्षण में निगरानी का आधार यह लिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि विरूद्ध एवं औचित्यहीन तथा मनमाने तरीके से न्यायिक मष्तिष्क का प्रयोग किये बिना पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद तथ्यों व साक्ष्यों का सही तरीके से परिशीलन नहीं किया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित किये गये आलोच्य आदेश से स्पष्ट है कि उनके द्वारा साक्षी/पी०डब्लू०–4 श्रीमती संतोषी पत्नी ओमप्रकाश की साक्ष्य को ही नहीं पढ़ा है और न ही अपने आदेश में पी०डब्लू० –4 का उल्लेख किया है। पी०डब्लू0–4 संतोषी पुनरीक्षणकर्ता की सगी बहिन है और देवर ओमप्रकाश को ब्याही है तथा उसका एक नाबालिग पुत्र भी है। पुनरीक्षणकर्ता के साथ–साथ उसकी बहिन का भी दहेज के लिये उत्पीडन किया गया है, उसे भी ससुराल से निकाल दिया है। वर्तमान में पुनरीक्षणकर्ता व उसकी बहिन संतोषी मायके में रह रही है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्य को देखे बिना विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित किया है जो गैर कानूनी है व स्थिर रहने योग्य नहीं है। पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद भी अन्य अभियुक्तगण को तलब नहीं किया गया है। पी०डब्लू०–4 संतोषी के बयान में स्पष्ट है कि उसके पति ओमप्रकाश द्वारा दहेज के लिये उत्पीडन किया है और पुनरीक्षणकर्ता के साथ उसे भी प्रताड़ित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा बिना पत्रावली का अवलोकन किये घटना में शामिल अभियुक्तगण को तलब नहीं किया है। विचारण न्यायालय के आलोच्य तलवी आदेश खारिज होने योग्य है। अतः निगरानीकर्ती द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित–23.07.2025 को अपास्त कर, निगरानी स्वीकार किये जाने की याचना की है।

Digitally signed by Neelam Dhaka
Date: 2026.04.27 15:58:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3. रिवीजनकर्ती की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में कागज सं०–4ख/2 आदेश दिनांक– 23.07.2025 की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल की गयी है।

4. रेस्पोन्डेन्टस/आपत्तिकर्तागण की ओर से निगरानी के विरूद्ध आपत्ति कागज सं० –13क प्रस्तुत कर कथन किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवं औचित्यपूर्ण है। तलवी आदेश उचित तरीके से न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है तथा पत्रावली पर मौजूद तथ्यों व साक्ष्यों का सही तरीके से परिशीलन किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा साक्षी/पी०डब्ल्यू० 4 श्रीमती संतोषी पत्नी ओमप्रकाश की साक्ष्य को पूर्ण रूप से पढ़ा गया है। पी०डब्ल्यू० 4 संतोषी पुनरीक्षणकर्ता की सगी बहिन है और उसका एक नाबालिग पुत्र है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दबाव बनाने की नीयत से अपनी सगी बहन संतोषी का घर बर्वाद किया जा रहा है। परिवादिया/पुनरीक्षणकर्ता के अंतर्गत धारा 200 द०प्र०सं० के ब्यान व अंतर्गत धारा 202 द०प्र०सं० के ब्यानों में बहुत विरोधाभाष है। पुनरीक्षणकर्ता ने अपने परिवाद में पी०डब्ल्यू० 4 संतोषी को पीड़िता या परिवादिया न बनाते हुए सिर्फ गवाह के रूप में पेश किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि मुकदमें को रंगत देने की नीयत से संतोषी का नाम गवाह के रूप में दिया गया है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों को देखकर ही विचारण न्यायालय द्वारा तलबी आदेश पारित किया गया है जो कानून सम्मत व स्थिर रहने योग्य है। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के अनुसार ही अभियुक्तगणों को तलब किया गया है। पुनरीक्षण की मद सं० 8 के अनुसार पी०डब्ल्यू० 4 संतोषी ने अपने पति ओमप्रकाश पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है किन्तु दहेज उत्पीड़न से सम्बन्धित कोई शिकायत या मुकदमा नही किया और पुनरीक्षणकर्ता द्वारा संतोषी को गवाह के रूप में पेश किया गया है, न ही परिवादिया या पीड़िता के रूप में विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली के अवलोकनार्थ ही घटना में शामिल अभियुक्तगणों को तलब किया है। तलबी आदेश के अनुरूप अभियुक्त चन्द्रपाल द्वारा विचारण न्यायालय में अपनी जमानत करा ली गयी है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर तथा परिवाद को अकारण लम्बित रखने की मंशा से पुनरीक्षण दाखिल किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः निगरानी निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. विपक्षी/राज्य की ओर से विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आलोच्य आदेश विधिसम्मत है, इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः चाहा कि रिवीजन निरस्त किया जाये।

6. रिवीजनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी, राज्य के विद्वान ए०डी०जी०सी०क्रि० की बहस को पूर्व में सुना जा चुका है एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित – 23.07.2025 व पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत पुनरीक्षण में यह देखा जाना है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित– 23.07.2025 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के सापेक्ष है या नहीं तथा आक्षेपित आदेश में कोई नियम प्रतिकूलता है या नहीं।

8. उपरोक्त के संबंध में देखा जाये तो, परिवादिनी/निगरानीकर्ती ने विचारण न्यायालय में इस आशय का परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 09.03.2019 को प्रार्थिया व उसकी छोटी बहिन सन्तोषी का विवाह सोनू व ओमप्रकाश पुत्रगण चन्द्रपाल निवासी घड़ी बिस्सा पोस्ट पैठा थाना मगोर्रा जिला मथुरा के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। प्रार्थिया के पिता ने विवाह में 12 लाख रूपया खर्च किया था, जिसमें सोनू को एक डीलक्स मोटर साइकिल एवं ओमप्रकाश को मोटर साइकिल के नकद रूपये तथा दोनों भाइयों को अलग–अलग सोने व चांदी के आभूषण व घेरलू सामान दिया था। विवाह के उपरान्त हम दोनो बहिनें ससुराल गयी। ससुराल में पिता द्वारा दिये गये दहेज से पति सोनू, देवर ओमप्रकाश, रोहताश, ससुर चन्द्रपाल, ननद प्रियंका सन्तुष्ट नहीं थे तथा हम दोनों बहनों को ताने मारना शुरू कर दिया और बुलट मोटर साइकिल व एक लाख रूपये लेकर की मांग की गयी और मांग पूरी न होने पर दोनों बहिनों के साथ गाली गलौज व मारपीट करने लगे। प्रार्थिया के पिता विदा कराने आते तो यह विदा नहीं करते थे समझाने बुझाने पर दिनांक 21.03.2020 को हमारे पिता हमें विदा कराकर लाये उसके बाद उन्होंने हमारी कोई खबर नहीं ली। दिनांक 14.01.2021 को प्रार्थिया अपनी बहिन के साथ ससुराल गयी परन्तु इन

लोगों के व्यवहार में कोई अन्तर नहीं आया। यह लोग हम दोनों बहिनों का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने लगे। दिनांक 02.03.2022 को उपरोक्त सभी लोगों ने हम दोनों बहिनों को बुरी तरह मारा पीटा और पहने हुए कपड़ों में ही घर से बाहर निकाल दिया। इन लोगों ने कहा कि जब तक दहेज में बुलट मोटर साइकिल व एक लाख रूपया लेकर नहीं आयेगी घर में नहीं रहने देंगे अगर पुलिस में शिकायत की तो जान से मार देंगे। प्रार्थिया के पिता ने रिश्तेदारों के माध्यम से सुलह समझौते के प्रयास किये तो दिनांक 05.02.2023 को सोनू हम दोनों बहिनों को अपने साथ लिवाकर ले गया। कुछ दिनों बाद ससुरालीजन हम दोनों बहिनों का उत्पीड़न करने लगे। परिवार न टूटे इस कारण हम इनके अत्याचार सहती रही। इसी दौरान प्रार्थिया की बहिन सन्तोषी गर्भवती हो गयी और ससुराल में सन्तोषी के दिनांक 22.02.2024 को एक पुत्र पैदा हुआ। उसके बाद भी इन लोगों द्वारा हम दोनों बहिनों का उत्पीड़न जारी रहा। दिनांक 20.04.2014 को समय करीब रात्रि 8:00 बजे पति सोनू, देवर ओमप्रकाश, रोहताश, ससुर चन्द्रपाल, ननद प्रियंका ने दहेज के लिए हम दोनों बहिनों को कमरे में लात घूसों से बुरी तरह मारा पीटा, हमारे शोर पर गांव के लोग आ गये तो हम दोनों बहिनों को कमरे में बन्द कर दिया। अगले दिन ओमप्रकाश व ससुर चन्द्रपाल एक गाड़ी में बैठाकर हम दोनों बहिनों को मय बच्चे के चौमुँहा लाये और सड़क पर गाड़ी रोककर हमें जबरन उतार दिया और अतिरिक्त दहेज में बुलट मोटर साइकिल और एक लाख रूपये नहीं देगा तब तक हमारे यहां नहीं आना कहा गया है। हम दोनों बहिनों ने रोकने का प्रयास किया तो सड़क पर ही हमें लात घूसों से मारने लगे तभी मौके पर लक्ष्मण व मेरा भाई रिंकू आ गये, जिन्होंने बचाया व उन्हें रोकने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं रूके और चले गये। ससुरालीजनों ने हमारा स्त्रीधन भी अपने पास रख लिया है। प्रार्थिया ने मजबूर होकर दिनांक 16.05.2024 को एस०एस०पी० महोदय, मथुरा पंजीकृत डाक से रिपोर्ट भेजी, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। प्रार्थना पत्र व डाक रसीद संलग्न है। अभियुक्तगण का यह कृत्य भा०दं०सं० की धारा 498 ए, 323, 406, 504, 506 भा०दं०सं० एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की हद को पहुँचता है।

9. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व में परिवादिनी /रिवीजनकर्ती श्रीमती वर्षा द्वारा प्रतिवादीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध फौजदारी प्रकीर्ण वाद प्रस्तुत किया गया तथा उक्त परिवाद के समर्थन में स्वयं को धारा –200 दं०प्र०सं० तथा साक्षी पी०डब्लू०–1 लक्ष्मण सिंह, पी०डब्लू० 2 रिंकू उर्फ भूपेन्द्र सिंह , पी०डब्लू०–3 नन्द किशोर एवं पी०डब्लू० 4 श्रीमती संतोषी को धारा–202 दं०प्र०सं० के अंतर्गत परीक्षित कराया गया।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक–23.07.2025 को फौजदारी प्रकीर्ण वाद पर सुनवाई करते हुए रिवीजनकर्तागण/अभियुक्तगण पति सोनू व ससुर चन्द्रपाल को अंतर्गत धारा 498 ए, 323, 504 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत विचारण हेतु तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया। इसी आदेश से क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण योजित की गयी है।

10. प्रश्नगत प्रकरण में दौरान जाँच विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवादिनी/निगरानीकर्ता का बयान अंतर्गत धारा–200 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, परिवादिनी/निगरानीकर्ती ने अपने बयान उल्लिखित किया है कि उसकी दिनांक 09.03.2019 को सोनू पुत्र चन्द्रपाल व संतोषी की शादी सोनू के भाई ओमप्रकाश से हुई थी। कुछ दिन सही रहा फिर मार पीट करने लगे। मुझसे 1 लाख रूपये और बुलेट माँगते थे। पापा ने 1 मोटर साईकिल, नकद 61 हजार रुपए और गहने इत्यादि शादी में दिए थे। मुझसे गाली गलौज भी करते थे। एक साल के बाद मायके चले गए, फिर कुछ दिन बाद वापिस आए पर उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसी बीच 22.02.2024 को मेरी बहन को ससुराल में लड़का हुआ। दिनांक 20.04.2024 को मुझे और बहन को डण्डे से मारा था। मेरा सिर फट गया था और हाथ टूट गया था। फिर गाड़ी में बिठा कर ससुर चन्द्रपाल, सोनू, ओमप्रकाश, रोहतास (देवर), ननद (प्रियंका) हमें रोड पर छोड़ गए थे। घर से 10–15 मिनट की दूरी पर छोड़ा था। वहीं रोड पर हमें मारने लगे। लक्ष्मण (पडोसी) और रिंकू (भाई) ने घटना देखी। फिर घर जाकर थाने पर गए। कुछ नहीं हुआ। मेडिकल के लिए गाँव के डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने मेरे ऊपर जेवर ले जाने का मुकदमा किया था पर वो वापिस ले लिया। मेरा खर्चे का मुकदमा है और कोई मुकदमा नहीं है। सब मुझसे दहेज मांगते थे।

11. जहाँ तक रिवीजनकर्ता/परिवादी द्वारा यह कथन किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पी०डब्लू० 4 श्रीमती संतोषी के बयान धारा–202 दं.प्र.सं. का प्रश्नगत आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि परिवादिनी /रिवीजनकर्ती द्वारा अपने परिवाद एवं बयान धारा–200 दं०प्र०सं० में प्रश्नगत घटना लक्ष्मण एवं रिंकू द्वारा देखा जाना कहा है, जिसको विचारण न्यायालय के समक्ष पी०डब्लू० –1 व 2 के रूप में धारा –202 दं०प्र०सं० के अंतर्गत परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने बयान में परिवादिनी/रिवीजनकर्ती के बयानों का समर्थन किया है, जिसके आधार पर प्रथमदृष्टया विपक्षीगण को अधिरोपित धाराओं के अंतर्गत तलब किया गया है। यदि विचारण न्यायालय द्वारा पी०डब्लू० 4 के बयान का उल्लेख प्रश्नगत आदेश में नहीं किया गया है, तो उसमें ऐसी कोई विधिक त्रुटि दर्शित नहीं हो रही है, जिससे पी०डब्लू० 4 के बयान का इन्द्राज किया जाना न्यायहित में आवश्यक था।

12. उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में, विचारण न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया मामले का सृजन होना प्रतिवादीगण/अभियुक्तगण सोनू व चन्द्रपाल के विरूद्ध पाया गया, जिसके आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें आहूत किया गया। उल्लेखनीय है कि तलबी के स्तर पर मामला मात्र प्रथमदृष्टया ही देखा जाना होता है कहने का तात्पर्य यह है कि इस स्तर पर दौरान जांच प्रस्तुत की गयी साक्ष्य के मैटिकूलयस एग्जामिनेशन नहीं किया जाता। स्पष्ट है कि पत्रावली में रिवीजनकर्तागण/अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथमदृष्टया पर्याप्त तथ्य मौजूद है, जिसके आधार पर आपराधिक कार्यवाही संचालित की जा सकती है।

13. उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **सोनू गुप्ता बनाम दीपक गुप्ता व अन्य 2015 (1) ACR 1049 (SC)** में यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि तलबी के स्तर पर मजिस्ट्रेट द्वारा बचाव संस्करण, सामग्री, तर्क नहीं देखा जाना है और न ही परिवादी के साक्ष्य व दस्तावेज के गुण–दोष का मूल्यांकन करना है, क्योंकि मजिस्ट्रेट को इस स्तर पर यह नहीं देखना है कि सामग्री दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है। मजिस्ट्रेट द्वारा केवल यह देखा जाना है कि अभियुक्तगण को तलब करने का प्रथमदृष्टया मामला बनता है अथवा नहीं है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में निगरानीकर्ता द्वारा लिए गये तर्कों को तलबी के स्तर पर नहीं देखा जा सकता।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के पश्चात एवं मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो प्रश्नगत आदेश दिनांकित–23.07.2025 पारित किया गया है वह एक विधि सम्मत आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

यह दाण्डिक निगरानी सं०–560/2024 श्रीमती वर्षा बनाम उ०प्र० राज्य आदि निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित–23.07.2025 की पुष्टि की जाती है।

मूल पत्रावली निर्णय की प्रति सहित विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाये।

दिनांक–27.04.20256

(श्रीमती नीलम ढाका)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–06, मथुरा।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–27.04.2026

(श्रीमती नीलम ढाका)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–06, मथुरा।
Id No. UP 2653